प्रेषक,

मोहन कुमार,
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0एक्ट /
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर-खीरी।

सेवा में,

श्रीमान संयुक्त निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

आदरणीय जनपद न्यायाधीश,
लखीमपुर-खीरी।

विषयः चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सासम्मान निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में वर्ष-2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 का चल व अचल सम्पत्ति का विवरण माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थी वित्तीय वर्ष-2018-2019, 2019-2020 का चल व अचल सम्पत्ति का विवरण प्रेषित कर रहा है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित पत्र संख्या-3193 / IV-3394/Admin(A-4)/Dated: Allahabad 11-03-2019 के माध्यम से अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-2015 का चल व अचल सम्पत्ति का विवरण प्रेषित नहीं किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2013-2014 का एन0पी0एस0 कटौती का विवरण नहीं है। उपरोक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा वित्तीय वर्ष-2014-2015 का चल व अचल सम्पत्ति का विवरण प्रेषित किया गया था, किन्तु लिपिकीय त्रुटिवश वित्तीय वर्ष 2014-2015 के स्थान पर वित्तीय वर्ष-2015-2016 अंकित हो गया। जबकि विवरण पत्र वित्तीय वर्ष 2014-2015 का ही था तथा उपरोक्त कमानुसार लिपिकीय त्रुटिवश अग्रिम वित्तीय वर्ष 2015-2016 के स्थान पर 2016-2017, 2016-2017 के स्थान पर 2017-2018 तथा वित्तीय वर्ष 2017-2018 के स्थान पर वित्तीय वर्ष-2018-2019 अंकित हो गया, जबकि मेरे द्वारा वित्तीय वर्ष-2017-2018 तक का ही विवरण पत्र प्रेषित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2013-2014 में एन0पी0एस0 कटौती विभागीय / तकनीकी त्रुटिवश नहीं हो पायी। चल व अचल सम्पत्ति विवरण भेजने में हुआ विलम्ब जानबूझकर नहीं किया गया है, बल्कि कोरोना संक्रमण, पिता जी की बीमारी, पिता जी की मृत्यु के कारण व कार्य की अधिकता/व्यस्तता के कारण समय से भेजा नहीं जा सका। प्रार्थी वित्तीय वर्ष-2018-2019 तथा 2019-2020 का विवरण पत्र प्रेषित कर रहा है।

अतः उपरोक्त विवरण सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु माननीय की सेवा में सादर प्रेषित।

सासम्मान!

भवदीय,

मोहन कुमार
11/12/2021

(मोहन कुमार)
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0एक्ट /
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर-खीरी।

दिनांकः 11.12.2021